




पत्रांक :

दिनांक : 09 मई, 2011

कार्यालय-आदेश

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार वार्षिक परीक्षा 2010-11 के उन महाविद्यालय के प्रायोगिक/ मौखिक परीक्षा के परीक्षकों को जहाँ पर जाने के लिए ट्रेन रूट उपलब्ध नहीं है, वहाँ के परीक्षक को अधिकतम 200 कि०मी० दूरी तक स्थित महाविद्यालय हेतु टैक्सी किराया वित्त समिति की प्रत्याशा में अनुमन्य किया जाता है। परीक्षक को यात्रा व्यय के भुगतान के समय टैक्सी नम्बर अनिवार्यतः देना होगा।


प्र०(नन्द लाल)
परीक्षा नियंत्रक

पत्रांक- प०नि०/63 /वा०प०10-11/11

उसी तिथि को

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. मा० कुलपति जी
2. समस्त संकायाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष
3. समस्त प्राचार्य- सम्बद्ध महाविद्यालय, वाराणसी, चन्दौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र तथा बलिया
4. वित्त अधिकारी
5. कुलसचिव
6. सहायक कुलसचिव- सम्बद्धता प्रकोष्ठ
7. उप कुलसचिव/अधीक्षक- परीक्षा (गोपनीय)
8. श्री नरेन्द्र मिश्रा - संगठक केन्द्र - कृपया सम्बन्धित सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट या अपलोड करने का कष्ट करें।


परीक्षा नियंत्रक